BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA no 379/2024

IN THE MATTER OF:

Bhuwan Chandra Bhatt ...Applicant

Versus

Solar Pulse Energy Private Limited & Ors. ...Respondents

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Proof of Compliance in terms of order dated 24.09.2025	1-4

Dated: 03/12/2025

Anjali Rajput

Panel Counsel

Government of Uttarakhand

कार्यालय तहसीलदार भिकियासैण
संख्या 30/मुख्य–एन0जी0टी0/2025 दिनांक 27.11.2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
भिकियासैंण ।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स इनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय पत्र संख्या 185/छब्बीस–06/ 2023–24 दिनांक 10 अक्टूबर,2025 पर अपने पृष्ठांकन आदेश संख्या 18/मुख्य/2025 दिनांक 15.10.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री प्रकाश श्रीवास्तव, सी0पी0/डा0सेंथिल वेल,ई0एम0 मुख्य पीठ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 सितम्बर,2025 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आदेश के अनुसार प्रतिवादीगणो/सोलर कम्पनियों के स्वामियों को आदेश की प्रति तामील कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजस्व उपनिरीक्षक कूणीधार को मा. हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 को प्रति प्रतिवादीगणों/सोलर कम्पनी स्वामियों को हस्तगत कराये जाने उपरांत तामील रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक कूणीधार द्वारा दिनांक 27.11.2025 को उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार उनके द्वारा सोलर कम्पनी नार्दन सोलर एनर्जी प्रा0लि0 के स्वामी श्री प्रमोद शकर निवासी रामगर,बिन्दाल लेजर होम्स प्रा0लि0 के स्वामी श्री प्रतीक अग्रवाल निवासी काशीपुर तथा एस0आर0एन0 प्रा0लि0 के स्वामी श्री दीपक मिश्रा निवासी काशीपुर को एक प्रति हस्तगत करायी गयी है एवं दूसरी प्रति में हस्ताक्षर कराये गये हैं (संलग्न)। उपरोक्त सोलर कम्पनियो के स्वामी तहसील भिकियासैण अन्तर्गत निवास नही करते है।

अतः मा.हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के पैरा 12 के कम में सम्बन्धित प्रतिवादियों (सोलर कम्पनियों) को मा0हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश की प्रति तामील कराये जाने के सम्बन्ध में तामीली रिपोर्ट उक्तानुसार प्रेषित है।

संलग्नः–यथोक्त।

(आबिद अली)
प्र0तहसीलदार,भिकियासैंण।

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
(थिकियासैंण)।

महोदय,

श्रीमान तहसीलदार महोदय थिकियासैंण के निर्देशों के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स एनर्जी प्रा० लि० व अन्य के संबंध मे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/09/25 के अनुपालन के सम्बन्ध में समन की एक प्रति को नंदन सोलर एनर्जी प्रा० लि० के मालिक प्रमोद शंकर जी (निवासी - रामनगर), बिन्दाल पेपर होम्स प्रा० लि० के मालिक श्री प्रतीक जी निवासी काशीपुर, तथा एस० आर० एस० प्रा० लि० के मालिक श्री दीपक मिश्रा निवासी काशीपुर को दी गई तथा अन्य प्रति पर हस्ताक्षर लिए गये, उक्त तीनों कम्पनियों के मालिक रा०उ०नि० क्षेत्र कूणीधार क्षेत्रान्तर्गत निवास नहीं करते है।

अत: उक्तानुसार समन तामिली रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
27/11/25
राजस्व उपनिरीक्षक
(कूणीधार)

Item No. 24

Court No. 1

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 379/2024

Bhuwan Chandra Bhatt **Applicant**

Versus

Solar Pulse Energy Private Limited & Ors. **Respondent(s)**

Date of hearing: 24.09.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: None
Respondent: Mr. Mukesh Verma & Ms. Vatsala Tripathi, Advs. for UKPCB
Ms. Anjali Rajput, Adv. for R - 3 & 4

ORDER

1. In this Original Application (OA), allegation is in respect of indiscriminate felling of Chir and Banj trees in Village Kunidhar, Tehsil Bhikiasen, Almora by some of the project proponents while setting up solar energy plant.

2. Report of District Magistrate, Almora dated 23.09.2025 in paragraph no.7 discloses that illegal felling of 32 trees has taken place. Disclosure so made by District Magistrate in its report as follows:-

> "7. *It has been informed by the Forest that permission to fell 60 trees were given. And a fine of ₹1,60,000 has been imposed by Forest Department on the three solar plant companies for the illegal felling of 32 trees, which has been deposited by the companies. A fine of ₹12,80,000 has been imposed on the farmers for the felling of the remaining 288 trees. It is also apprised that the farmers have not raised any objections upon the penalty of fine and the same have been deposited with the Forest Department. That the copy of the report of the Tehsildar, Bhikiyasain dated 18.09.2025 annexed herewith as Annexure D.*"

Received By
CKN PVT. LTD
Deepak Mishra

मा० न्यायालय हरित क्रांति
के समन प्रति प्राप्त की
ऑर्टिन सोलर, प्रा० लि०
Pramod Shanker

Recived
By Bindal Pvt Ltd

कार्यालय उपजिलाधिकारी भिकियासैण
संख्या 18/मुख्य–एन0जी0टी0 प्रकरण/2025 दिनांक 27.11.2025

सेवा में,

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स इनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 185/छब्बीस–06/2023–24 दिनांक 10 अक्टूबर,2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री प्रकाश श्रीवास्तव, सी0पी0/डा0सेंथिल वेल,ई0एम0 मुख्य पीठ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 सितम्बर,2025 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्तरवार प्रत्युत्तर/जॉच आख्या सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक 04 दिसम्बर,2025 से पूर्व मा0न्यायालय को उपलब्ध करवायें जाने के निर्देश दिये गये है।

प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मा. हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश के पैरा 06 में मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड को प्रकरण का परीक्षण किये जाने एवं दिनांक 04.12.2025 की नियत तिथि से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में अंजली राजपूत पैनल काउसिल उत्तराखण्ड राज्य से दूरभाष पर हुयी वार्ता के कम में उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि शपथ पत्र मुख्य सचिव महोदय की ओर से ही दाखिल किया जाना है जिस सम्बन्ध में सक्षम स्तर को पत्राचार किये जाने हेतु कहा गया है। आदेश के पैरा 12 में उक्त योजित आवेदन संख्या 379/2024 में सम्बन्धित सोलर कम्पनियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है एवं उक्त नये प्रतिवादियों (सोलर कम्पनियों) को दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश की प्रति प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है, उक्त आदेश के कम में सम्बन्धित सोलर कम्पनियों को आदेश की तामीली रिपोर्ट मय कवरिंग लैटर पैनल काउंसिल द्वारा उन्हे उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा है जिस सम्बन्ध में तामीली रिपोर्ट मय कवरिंग लैटर पृथक से प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार मा. हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा परित आदेश दिनांक 24.09.2025 के पैरा 06 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड एवं मुख्य वन संरक्षक महोदय उत्तराखण्ड को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।
संलग्नः–यथोक्त।

(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी,भिकियासैण।